भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1415
(20 सितंबर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गरीब लोगों के जीवन स्तर की स्थिति

1415. कुंवर दानिश अलीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश के गरीब लोगों के जीवन स्तर की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ख) इस संबंध में किस सीमा तक सफलता मिली है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) : वास्तविक, □ जीविका, डिजिटल, बैंकिंग, विपणन और अन्य अवसंरचना, तकनीकी, इनपुट और परिसंपत्ति सहायता, कौशल, कृषि और गैर-कृषि □ जीविका के विकास, सामाजिक सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में समग्र सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा बहु□ यामी कार्यनीति अपनाई जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय रोजगार सृजन, □ जीविका के अवसरों को मजबूत करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के कौशल उन्नयन, सामाजिक सहायता के प्रावधान, बुनियादी सुविधाओं के विकास इत्यादि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए इसमें भागीदारी करता है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण □ जीविका मिशन (डीएवाई- एन□ रएलएम), दीनदयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू- जीकेवाई), प्रधानमंत्री □ वास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एसपीएम□ रएम) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

प्रधान मंत्री वास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामीण वासहीन परिवारों और कच्चा तथा जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान के निर्माण के लिए सहायता देना। ''सभी के लिए वास'' के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (डीएवाई-एन रलएम) को ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (एसएसजी) में शामिल करने के उद्देश्य से कार्यान्वित कर रहा है और जब तक वे अपने जीवन स्तर में सुधार करने के लिए समय के साथ-साथ अपनी य में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं कर लेते और गरीबी के चक्र से बाहर नहीं जाते तब तक र्थिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए उन्हें निरंतर पोषण और सहायता प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस विभाग ने औपचारिक बैंकों से महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई उपाए किए हैं। बैंक ऋण से महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को अपनी य बढ़ाने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियां हासिल करने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 73777 करोड़ रु. की कुल ऋण राशि के लिए 32.32 लाख महिला स्व-सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। महिला स्व-सहायता समूहों की संभावित और मौजूदा संख्या के अनुसार राज्य तथा बैंकों को लक्ष्य बंटित कर दिए गए हैं। दिनांक 31 जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर कुल 16146 करोड़ रु. के ऋण वितरण से 15.55 लाख स्व-सहायता समूहों को जोड़ दिया गया है।

यह विभाग देश के ग्रामीण लोगों की जीविका में सुधार करने सहित ग्रामीण अवसंरचना विकास के जरिए सुनिश्चित अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एन रईजीएस) कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, महात्मा गांधी एन रईजीएस के तहत निम्नलिखित की व्यवस्था करके कमजोर वर्गों (केवल पैराग्राफ 5 में उल्लिखित परिवारों के लिए) के लिए व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सकता है- -

i. डगवेल, कृषि तालाब और जल संग्रहण की अन्य संरचनाओं सहित भूमि का विकास और सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।

ii. बागवानी, रेशम पालन, पौधरोपण और कृषि वानिकी के जरिए जीविका में सुधार करना;

iii. प्रति और बंजर भूमि को विकसित करके उन्हें कृषि योग्य बनाना;

iv. इंदिरा वास योजना या राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की इस तरह की अन्य योजना के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण में अकुशल मजदूरी घटक;

v. पशुधन के संवर्धन हेतु अवसंरचना विकसित करना जैसे मुर्गी, बकरा, सुअर, पशुओं के लिए छाया और चारे की व्यवस्था और

vi. मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना तैयार करना जैसे मछली सुखाने के लिए यार्ड, भंडारण सुविधा तथा सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मछली पालन को बढ़ावा देना अनुमेय कार्यकलाप हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ग्रामीण बादी को अच्छी गुणवत्ता की सड़के उपलब्ध कराकर र्थिक और सामाजिक सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने और इसके माध्यम से कृषि य में वृद्धि करने तथा उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने के उपाए के रूप में शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी): इस योजना का लक्ष्य पूरे देश में लाभार्थियों को नियमित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। राज्यों से भी यह अपेक्षित है कि वे अपने संसाधनों से पूरक निधि के रूप में योगदान दें, जिससे कि समाज के सबसे गरीब तबके के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

दइ उ

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएम रएम): इस मिशन को शहरी विशेषताएं प्राप्त करके भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और परिवर्तन के लिए लागू किया गया है। इसमें नागरिक, डिजिटल, जीविका और वाणिज्यिक सेवाओं सहित योजनाबद्ध समेकित विकास को ध्यान में रखा जाता है।

(ख): उक्त योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति निम्नानुसार है :

<table>
<tr><td>योजनाएं</td><td></td></tr>
<tr><td>एमजीएन रईजीएस</td><td>वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कमजोर वर्गों के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत श्रेणी के कार्यों में हुए व्यय और पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:
<table>
<tr><td colspan="2">पूर्ण</td></tr>
<tr><td>कार्यों की संख्या</td><td>व्यय लाख में</td></tr>
<tr><td>27,02,785</td><td>2,91,878.83</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

पीएमएवाई-जी	1,65,75,845 लाभार्थियों को स्वीकृति दी गई है जिनमें से 1,52,59,811 लाभार्थियों को पहली किस्त, 1,32,89,388 लाभार्थियों को दूसरी किस्त रिलीज कर दी गई है और कुल 1,15,02,232 मकान बनाए जा चुके हैं।
पीएमजीएसवाई	योजना की शुरू त पीएमजीएसवाई के तहत 2,31,376 करोड़ रु. के व्यय से कुल 6,31,312 कि.मी. लंबी सड़क बनाई जा चुकी है।
डीएवाई-एन रलएमएम	इस मिशन को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 680 जिलों में 6,286 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत 31 जुलाई, 2020 तक 6.97 करोड़ से अधिक महिलाओं को 63.39 लाख स्व-सहायता समूहों में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा, स्व-सहायता समूहों को 3.64 लाख ग्राम स्तरीय संघों और 32,275 से अधिक बसावट स्तरीय संघों में संघबद्ध किया जा चुका है। 2584765 स्व-सहायता समूहों को परिक्रामी निधि के रूप में 3707.18 करोड़ रु. और 1375515 स्व-सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 7470.47 करोड़ रु. दिए जा चुके हैं।
डीडीयू-जीकेवाई	वर्ष 2014-15 से अगस्त, 2020 तक डीडीयू-जीकेवाई के तहत 10.51 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 6.65 लाख अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया है। इस अवधि के दौरान रएसईटी ई के तहत 25.09 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 18.91 लाख अभ्यर्थियों ने अपना रोजगार शुरू कर दिया है। ऊपर उल्लिखित दोनों योजनाओं का लक्ष्य रोजगार या स्व-रोजगार के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं के नियोजन में वृद्धि करना है, जिससे कि उनका थिक और सामाजिक विकास हो सके और परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके.
एनएसएपी	एनएसएपी योजना के तहत 3.09 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
एसपीएम रएम	कुल 289 समेकित बसावट कार्य योजना तथा 272 विस्तरित परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है।